रजिस्ट्री सं० बी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 1971/भाद्र 26, 1893

No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1971/BHADRA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th September 1971

SUBJECT.—*Procedure for the grant of 'Advance' Import licences under the import policy for Registered Exporters for the period April, 1971—March, 1972 (Amendment No. 25).*

No. 119-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the procedure for the grant of 'Advance' import licences under the Import Policy for Registered Exporters as contained in paragraph 74 of Part 'E' in Section I of the Import Trade control Policy (Red Book—Vol. II) for the period April, 1971—March, 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971.

2. On a review of the position, it has been decided that import applications for the grant of 'Advance' licences/release orders under the import policy for Registered Exporters will be considered by the regional licensing authorities concerned in the type of cases in which:—

(i) the value of advance licence/release order does *not* exceed Rs. 5 lakhs;

(ii) the export order for the execution of which the advance licence/release order is claimed, is backed by an irrevocable letter of credit;

(iii) the item for which advance licence/release order is sought to be issued are those which appear in Col. 4 against the relevant export product in Section II of the said Red Book;

(iv) no export obligation is outstanding against the applicant in respect of an earlier advance licence/release order; and

(v) the export product for which the advance licence is applied for does not fall in any of the following product groups:—

(a) Fish and Fish Products.
(b) Handicrafts.
(c) Woollen Carpets, Rugs and Druggets.
(d) Woollen Textiles, Hosiery and Mixed Fabrics.
(e) Stainless Steel Products.
(f) Gem and Jewellery.
(g) Non-Cellulosic Products.
(h) Cellulosic Products.
(i) Blended Products from mixture of cotton/cellulosic Fibre or yarn Nylon/Polyester Fibre or yarn natural silk.

3. The list of the regional licensing authorities to whom import applications should be made in terms of this Public Notice appears in Annexure VIII in Section III of the said Red Book. In such cases it will not be necessary for the applicant to forward a copy of his import application to the Export Promotion Division in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi.

4. The provisions made in paragraph 74, Part E, Section I, of the Red Book as referred to above may be deemed to have been suitably amended.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1971

विषय : अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत 'अग्रिम' आयात लाइसेंस प्रदान करने की क्रियाविधि (संशोधन संख्या 25)

सं० 119-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 :—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44—आई टी सी (पी एन) 71, दिनांक 30—4—71 के अन्तर्गत अप्रैल,

1971–मार्च, 1972 अवधि के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक–वा० 2) के खंड–1 भाग 'ई' की कंडिका 74 में पंजीकृप निर्यातकों के लिए यथा निहित आयात नीति के अन्तर्गत 'अग्रिम' आयात लाइसेंस प्रदान करने की क्रियाविधि की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की समीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत 'अग्रिम' लाइसेंसों/रिहाई आदेशों की स्वीकृति के लिए आयात आवेदन पत्रों के ऐसे मामलों पर सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा जिन में कि :—

(1) अग्रिम लाइसेंस/रिहाई आदेश का मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है ;

(2) निर्यात आदेश जिसके पालन के लिए अग्रिम लाइसेंस/रिहाई आदेश के लिए दावा किया गया है वह अपरिवर्तनीय साखपत्र द्वारा समर्थित है ;

(3) जिन मदों के लिए अग्रिम लाइसेंस/रिहाई आदेश जारी करने के लिए आवेदन किया गया है वे मदें उक्त रैडबुक के खण्ड–2 में संगत निर्यात उत्पाद के सामने कालम–4 में प्रदर्शित हैं ;

(4) पहले के अग्रिम लाइसेंस/रिहाई आदेश के सम्बन्ध में आवेदक के प्रति कोई नियत दायित्व बकाया नहीं है ; और

(5) जिस निर्यात उत्पाद के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया गया है, वह निर्यात उत्पाद निम्नलिखित उत्पाद समूहों में से किसी समूह के अन्तर्गत नहीं आता है :—

(क) मछली और मछली उत्पादें ।
(ख) हस्तशिल्प ।
(ग) ऊनी कालीन, गलीचे और मोटे ऊनी वस्त्र ।
(घ) ऊनी वस्त्र, हौजरी आदि और मिश्रित वस्त्र ।
(ङ) जंग विरोधी इस्पात उत्पादें ।
(च) रत्न और आभूषण ।
(छ) गर-सेल्यूलोस उत्पादें ।
(ज) सेल्यूलोस उत्पादें ।
(झ) कपास/सेल्यूलोस के रेशे या सूत नाइलन/पालिस्टर रेशे या सूत या प्राकृतिक रेशम के मिश्रण से सम्पृक्त उत्पाद ।

3. उन क्षेत्रीय लाइसेंस-प्राधिकारियों की सूची जिनको इस सार्वजनिक सूचना की मद 2 के अनुसार आयात आवेदन पत्र देने चाहिए, वह उक्त रैडबुक के खंड 3 के अनुबंध–8 में प्रदर्शित है ऐसे मामलों में आवेदक के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने आयात आवेदन-पत्र की एक प्रति मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात नई दिल्ली के कार्यालय में निर्यात संवर्धन भाग को भेजे ।

4. उपर्युक्त यथा उल्लिखित रैडबुक के खंड 1 भाग 'ई' की कंडिका 74 में की गई व्यवस्थाएं तदनुपयुक्त संशोधित की गई समझी जाएं।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971